आयोजनागत

संख्या: /208 /I(2)/2009-07(1)/07/2006

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादून: दिनांक: 05 जून, 2009

विषय– ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूंजी दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 189/एमडी/पिटकुल, दिनांक 17.04.2009 एवं पत्र संख्या 217/एमडी/पिटकुल, दिनांक 07.05.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0डी0बी0 सहायतित 400 के0वी0 श्रीनगर सब स्टेशन के निर्माण हेतु ए0डी0बी0 से प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूंजी के रूप में रु0 16,88,00,000.00 (रु0 सोलह करोड़ अठठासी लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि का दिनांक 30.09.2009 की तिथि तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

6– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

7– ए0डी0बी0 से ऋण की किश्तों का आहरण निर्धारित समय सारिणी अनुसार समय से कर लिया जायेगा तथा योजनाओं का क्रियान्वयन भी निर्धारित समय में पूर्ण किया जायेगा।

8– योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि, अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि व वर्तमान में आवंटित की जा रही धनराशि योजना हेतु कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही रहेगी।

....2

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष निम्नानुसार वहन किया जायेगा:-

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखाशीर्षक	अवमुक्त धनराशि
1	21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-05-ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	133352
2	30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-097-बाह्य सहायतित-01-ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश-30-निवेश/ऋण	30364
3	31	4801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-097-बाह्य सहायतित-01-ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश-30-निवेश/ऋण	5084
		योग:-	168800

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 78/XXVII(2)/2009, दिनांक 25 मई, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सौरभ जैन
अपर सचिव

संख्या 1208 /I(2)/2009-07(1)/07/2006, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- जिलाधिकारी, देहरादून।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5- वित्त अनुभाग-2
6- नियोजन विभाग।
7- सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
8- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9- मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- विशेष सैल, ऊर्जा।
11- चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0ओ0 (ए0डी0बी0)।
12- बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
13- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव